

न्यायालय :- श्रीमती मीना शाह, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, आमला
जिला बैतूल

दांडिक प्रकरण क :- 172/11
संस्थापन दिनांक:-23/06/11
फाईलिंग नं. 233504000262011

मध्यप्रदेश राज्य
द्वारा आरक्षी केन्द्र आमला,
जिला-बैतूल (म.प्र.)

..... **अभियोजन**

वि रू द्ध

1. राजेश पिता लक्ष्मण बसदेवा, उम्र 30 वर्ष,
 2. दुर्गेश पिता हेमराज बसदेवा, उम्र 30 वर्ष
 3. गायत्री पिता हेमराज, उम्र 28 वर्ष
 4. चंदन पिता भंगी बसदेवा, उम्र 30 वर्ष
- सभी निवासी रानीडोंगरी,
थाना आमला, जिला बैतूल (म.प्र.)

.....**अभियुक्तगण**

-(नि र्ण य) :-

(आज दिनांक 27.09.2017 को घोषित)

1 प्रकरण में अभियुक्तगण के विरुद्ध धारा 324 अथवा 324/34 भा0दं0सं0 के अंतर्गत इस आशय के आरोप है कि उन्होंने दिनांक 07.06.2011 के रात्रि करीब 11-12 बजे ग्राम रानीडोंगरी फरियादी देवदास के घर के सामने थाना आमला जिला बैतूल में आहत साधु को उपहति कारित करने का सामान्य आशय बनाया एवं उक्त सामान्य आशय के अग्रसरण में आपने या सहअभियुक्त ने आहत साधु को धारदार वस्तु से मारकर स्वेच्छया उपहति कारित की।

2 अभियोजन का प्रकरण इस प्रकार है कि दिनांक 07.06.2011 को रात करीब 11 बजे फरियादी के घर के सामने अभियुक्तगण आये और उसे मादरचोद, बहनचोद की गालियां देने लगे। जब उसका लड़का साधु बाहर निकला तो चारो अभियुक्त ने उसे तूने बाप को मारा है कहकर साधु को मारने लगे। राजेश ने साधु को लकड़ी से मारा। जब वह, उसकी मां संजयावती, भाई प्रभुदास बीच बचाव करने गये तो अभियुक्तगण ने उन्हें भी लकड़ी, हाथ मुक्के से मारपीट किये। चारो अभियुक्तगण ने उन्हें मादरचोद बहनचोद की गालियां देते हुए जान से खत्म करने की धमकी दी। मारपीट से उसे सिर, मां संजयावती को कंधे एवं प्रभुदास के दोनों हाथों तथा साधु को भी चोटें आयी। फरियादी की रिपोर्ट के आधार पर थाना आमला में अभियुक्तगण के विरुद्ध अपराध क. 168/11 पंजीबद्ध किया गया। विवेचना के दौरान मौका नक्शा बनाया गया एवं साक्षियों के कथन लेखबद्ध किये गये। फरियादी एवं आहतगण का

चिकित्सकीय परीक्षण करवाया गया। अभियुक्त राजेश, दुर्गेश, गायत्री से एक-एक बांस की लकड़ी जप्त कर जप्ती पत्रक बनाया गया। अभियुक्तगण को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक बनाये गये। विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया।

3 प्रकरण में फरियादी एवं आहतगण का अभियुक्तगण से राजीनामा हो जाने के परिणामस्वरूप अभियुक्तगण को धारा 294, 323/34 (तीन काउंट में), 325/34, 506 भाग-दो भा.द.सं. के अधीन दंडनीय अपराध से दोषमुक्त किया गया किन्तु अभियुक्तगण के विरुद्ध लगे धारा 324 अथवा 324/34 भा०द०सं० का आरोप अशमनीय होने से अभियुक्तगण का विचारण किया गया।

4 अभियुक्तगण द्वारा निर्णय की कंडिका क्रं-1 में उल्लेखित अपराध किया जाना अस्वीकार कर विचारण चाहा गया तथा धारा 313 द.प्र.सं. के अंतर्गत किये गये अभियुक्त परीक्षण में उनका कहना है कि वे निर्दोष हैं और उन्हें झूठा फंसाया गया है।

5 न्यायालय के समक्ष निम्न विचारणीय प्रश्न यह हैं :-

1. क्या घटना के समय अभियुक्तगण ने आहत साधु के साथ मारपीट करने का सामान्य आशय निर्मित किया ?
2. क्या घटना के समय अभियुक्तगण ने सामान्य आशय की पूर्ति में आहत साधु को धारदार वस्तु से मारपीट कर उसे स्वेच्छया उपहति कारित की ?
3. क्या अभियुक्तगण द्वारा ऐसा गंभीर व अचानक प्रकोपन से अन्यथा स्वेच्छया किया गया ?
4. निष्कर्ष एवं दंडादेश, यदि कोई हो तो ?

।। विश्लेषण एवं निष्कर्ष के आधार ।।

विचारणीय प्रश्न क. 01, 02 एवं 03 का निराकरण

6 देवदास (अ.सा.-1) ने मुख्य परीक्षण में यह बताया है कि अभियुक्तगण ने घर के सामने लाठी, कुल्हाड़ी, हाथ मुक्के से उसकी, उसके भाई प्रभुदास, मां संजयावती, भाई साधु की मारपीट की थी। सभी को चोटें आयी थी। संजयावती (अ.सा.-2) ने भी मुख्य परीक्षण में यह बताया है कि अभियुक्तगण ने उसके साथ, उसके बेटे प्रभुदास, देवदास तथा साधु के साथ मारपीट किये थे। सबको चोटें आयी थी। सबका मेडिकल मुलाहिजा हुआ था। प्रभुदास (अ.सा.-3) ने मुख्य परीक्षण में यह बताया है कि घटना के समय अभियुक्तगण संजयावती और देवदास के साथ मारपीट कर रहे थे। जब वह और

साधु बचाव के लिए गये तो उनके साथ भी मारपीट की। साधु (अ.सा.-9) ने मुख्य परीक्षण में यह बताया है कि अभियुक्तगण लकड़ी लेकर सबको मार रहे थे। उसे सिर, कंधे और हाथ में चोट आयी थी। धक्का लगने पर वह गिर गया था जिससे उसका सिर कट गया था।

7 दिनेश कुमार सोनी (अ.सा.-6) ने अपने मुख्य परीक्षण में यह बताया है कि वह सीएचसी आमला में कम्पाउंडर के पद पर पदस्थ है। वह डॉक्टर रोहित के हस्ताक्षरों से भली भांति परिचित है। दिनांक 08.06.2011 को डॉक्टर रोहित ने आहत साधु का परीक्षण किया था जिसमें आहत के मस्तक, दाहिने कंधे, बांयी भुजा एवं सीने पर घाव पाया था। डॉक्टर रोहित ने आहत के सिर पर आयी चोट सख्त एवं नुकिले हथियार से एवं शेष चोटें सख्त एवं बोथरे हथियार से आना संभावित बतायी थी। उक्त साक्षी ने डॉक्टर रोहित द्वारा तैयार चिकित्सकीय रिपोर्ट (प्रदर्श पी-11) के ए से ए भाग पर डॉक्टर रोहित के हस्ताक्षरों को प्रमाणित भी किया है।

8 लख्खू साहू (अ.सा.-7) ने दिनांक 09.06.2011 को थाना आमला में प्रधान आरक्षक के पद पर पदस्थ रहते हुए अपराध क्र. 168/11 में विवेचना के दौरान नक्शा मौका (प्रदर्श पी-2) तैयार किया जाना। दिनांक 14.06.2011 को अभियुक्तगण को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक प्रदर्श पी-6 लगायत प्रदर्श पी-9 तैयार किया जाना एवं उक्त दिनांक को ही अभियुक्त राजेश, दुर्गेश, गायत्री से बांस की लकड़ी जप्त कर जप्ती पत्रक प्रदर्श पी-3 लगायत प्रदर्श पी-5 तैयार किया जाना बताया है। साथ ही साक्षी ने उक्त प्रपत्रों पर अपने हस्ताक्षरों को भी प्रमाणित किया है। प्रतिपरीक्षण में साक्षी से औपचारिक स्वरूप के प्रश्न पूछे गये हैं जिससे उसके द्वारा की गयी अनुसंधान की कार्यवाही का ब्योरा प्रकट होता है।

9 प्रकरण में स्वतंत्र साक्षी हरगोविंद (अ.सा.-4) एवं राजकुमार (अ.सा.-5) ने अभियोजन का किंचित मात्र समर्थन नहीं किया है। उपर्युक्त साक्षीगण से अभियोजन अधिकारी द्वारा प्रतिपरीक्षण में पूछे जाने वाले प्रश्न पूछे जाने पर भी साक्षीगण ने अभियोजन के समर्थन में कोई तथ्य प्रकट नहीं किये हैं। अतः उपर्युक्त साक्षीगण से अभियोजन को कोई सहायता प्राप्त नहीं होती है।

10 जहां तक आहत साधु को अभियुक्तगण द्वारा नुकिले हथियार से चोट पहुंचाये जाने का तथ्य है, वहां स्वयं आहत साधु ने अपने मुख्य परीक्षण में यह बताया है कि मारपीट के समय धक्का मुक्की में वह गिर गया था जिससे उसका सिर कट गया था। प्रतिपरीक्षण में भी साक्षी ने इस सुझाव को सही बताया है कि घटना के समय वह देख नहीं पाया था कि किस अभियुक्त ने उसे मारा था और इस सुझाव को भी सही बताया है कि बहुत सारे लोग थे धक्के में वह गिर गया था जिससे किसी नुकिली चीज से टकराकर उसका सिर कट गया था। इस सुझाव को भी सही बताया है कि उसे गिरने से ही सिर पर चोट आयी थी। प्रकरण में फरियादी एवं आहतगण के द्वारा अभियुक्तगण के द्वारा राजीनामा कर लिये जाने के कारण अभियुक्तगण को उन पर

आरोपित धाराएँ 294, 323/34(तीन काउंट में), 325/34, 506 भाग—दो भा.दं.सं. से दोषमुक्त किया जा चुका है। धारा 324 भा.दं.सं. के संबंध में अभिलेख पर अभियुक्तगण के विरुद्ध कोई भी साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। स्वयं आहत साधु ने अपने सिर पर चोट आना गिरने से बताया है। ऐसी स्थिति में यह प्रमाणित नहीं पाया जाता है कि अभियुक्तगण ने सामान्य आशय के अग्रसरण में आहत साधु को नुकिली चीज से मारपीट कर उसे स्वेच्छया उपहति कारित की।

विचारणीय प्रश्न क. 04 का निराकरण

11 उपरोक्तानुसार की गयी साक्ष्य विवेचना से अभियोजन युक्तियुक्त संदेह से परे यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि अभियुक्तगण ने घटना दिनांक, समय व स्थान पर आहत साधु को उपहति कारित करने का सामान्य आशय बनाया एवं उक्त सामान्य आशय के अग्रसरण में आहत साधु को धारदार वस्तु से मारकर स्वेच्छया उपहति कारित की। फलतः अभियुक्तगण राजेश, दुर्गेश, चंदन एवं गायत्री को भारतीय दंड संहिता की धारा 324 अथवा 324/34 के आरोप से दोषमुक्त घोषित किया जाता है।

12 प्रकरण में जप्तशुदा तीन बांस की लकड़ी अपील अवधि पश्चात तोड़कर नष्ट की जावे। अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के निर्देशानुसार संपत्ति का व्ययन किया जावे।

13 अभियुक्तगण के जमानत मुचलके 437-ए दं.प्र.सं. हेतु 6 माह के लिए विस्तारित किये जाते हैं। उसके पश्चात स्वतः निरस्त समझे जावेंगे।

14 प्रकरण में धारा 428 दं.प्र.सं. के अंतर्गत आरोपी की अभिरक्षा का प्रमाण पत्र निर्मित कर प्रकरण में संलग्न किया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित
तथा दिनांकित कर घोषित ।

मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित ।

(श्रीमती मीना शाह)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
आमला, बैतूल (म.प्र.)

(श्रीमती मीना शाह)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
आमला, बैतूल (म.प्र.)